

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

दायर दिनांक

14.05.2024

उनवान

निर्णय दिनांक

27.05.2024

प्रकरण संख्या
191/2024

1. गणपत सिंह पुत्र श्री गोर्धन सिंह राजपूत उम्र वयस्क, निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) — प्रार्थी

बनाम

1. देबी सिंह पिता श्री गोर्धन सिंह राजपूत उम्र वयस्क, निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. अर्जुन सिंह पिता श्री गोर्धन सिंह राजपूत उम्र वयस्क, निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. लक्ष्मी पत्नि श्री हरिश प्रजापत उम्र वयस्क निवासी गुर्जर मोहल्ला भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. सतपाल सिंह पिता श्री दलपत सिंह राजपूत उम्र वयस्क, निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. नाबालिग कैलाश चन्द्र पिता श्री रोशन लाल संरक्षक संपरस्त रोशन जाति गाडरी, निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. भीम सिंह पिता श्री गोर्धन सिंह जाति गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. ग्राम पंचायत मालोला, जरिये ग्राम विकास अधिकारी
8. सार्वजनिक निर्माण विभाग भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—विपक्षीगण


उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी भैरू लाल गाडरी

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मालोला प0ह0 मालोला भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 22 की अभिलिखित आराजियात 919/3, 920/3, 921 कुल किता 03 कुल रकबा 0.4300 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा


काशत की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पक्षीसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है। इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये

मौके पर तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इशतदुआ की गई। प्रार्थी वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन किया एवं पत्रावली को वारते आदेश नियत किया गया। हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का

अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि

जिजा मालोला प०ह० मालोला भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 22 की अभिलिखित आराजियात 919/3, 10/3, 921 कुल किता 03 कुल रकबा 0.4300 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में शानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की वेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया कर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में कारवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपायुक्त अधिकारी
भीलवाडा